—:: प्रतिलिपि आदेश दिनांक 03.11.2022 ::—

न्यायालयः—वेन्सेस्लास टोप्पो, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा

जमानत प्र0क0 **567/2022**
फाईलिंग नंबर **991/2022**

विजय कैवर्त, उम्र —40 साल, पिता — हीरा लाल केंवट,
निवासी — कोरबी, पुलिस चौकी — हरदीबाजार,
जिला — कोरबा (छ0ग0).....**आवेदक/आरोपी**

—:: विरूद्ध ::—

छ0ग0 राज्य द्वारा,
जिला दंडाधिकारी कोरबा .....**अभियोगी**

प्रथम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 439 दं0प्र0स0

03.11.2022 आवेदक/आरोपी द्वारा श्री विजय जायसवाल अधिवक्ता।

राज्य द्वारा श्री अशोक आनंद ए0पी0पी0।

थाना कुसमुंडा के अप0 क0 **568/2022** अन्तर्गत धारा **34 (2)** आ0ए0 से संबंधित केस डायरी प्राप्त है।

आवेदक/आरोप की ओर से प्रस्तुत **प्रथम** जमानत आवेदन धारा 439 दं0प्र0स0 पर उभयपक्ष का तर्क सुना गया।

आरोपी/आवेदक की ओर से **उसके पिता हीरालाल केंवट ने** शपथ पत्र पेश किया है कि इस न्यायालय में यह **प्रथम** जमानत आवेदन पत्र पेश किया गया है। इस प्रकार का अन्य कोई भी जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय में पेश नहीं किया गया है और न ही निराकृत हुआ है और न ही लंबित है।

आवेदक/आरोपी का जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 संक्षेप में यह है कि उसे जेएमएफसी पाली न्यायालय में दिनांक 30.10.2022 को पेश किया गया था तब से वह उप जेल कटघोरा में निरूद्ध है। वह निर्दोष है, पुलिस द्वारा झूठा जप्ती बनाकर उसे फंसाया गया है। वह परिवार

का मुखिया है और लंबे समय से जेल में रहने पर उसके परिवार के समक्ष भूखों मरने की स्थिति निर्मित हो गयी है। वह ग्राम कोरबी का स्थाई निवासी है और उसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। उस पर प्रथम अपराध अधिरोपित किया गया है। जमानत प्रदान करने पर वह न्यायालय के समस्त आदेशों का पालन करेगा। अतः जमानत मुचलके पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया है।

आरोपी/आवेदक की ओर से आवेदन अनुसार तर्क कर बताया गया कि आवेदक निर्दोष है तथा वह दिनांक 30.10.2022 से अभिरक्षाधीन है। आवेदक का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः जमानत मुचलके पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया।

राज्य की ओर से ए0पी0पी0 द्वारा उक्त जमानत आवेदन का विरोध किया गया है और तर्क किया गया है कि आरोपी से 10 लीटर हाथ भटठी कीमती 1200/—रु0 का शराब गवाहों के समक्ष बरामद करना बताया गया है। अतः आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

अभियोजन प्रकरण के अनुसार दिनांक 30.10.2022 को मुखबिर की सूचना पर कि ग्राम कोरबी में रहने वाले आरोपी विजय कैवर्त अपनी मोटरसायकल में अवैध रूप से हाथ भटटी कच्चा शराब लेकर आ रहा था, तब कोरबी कपीलडबरी तालाब के पास पहुंचकर मुखबिर की सूचना के अनुसार मौके पर पहुंचकर एक व्यक्ति को मोटरसायकल से आते देखकर उससे पूछताछ करने पर उसकी मोटरसायकल क0 एम0पी0 18 एसएस 8769 में एक झोले में रखे 10 लीटर हाथ भटठी महुआ शराब कीमती 1200/—रु0 को अवैध रूप से बिक्री हेतु ले जाते पकड़े और उसे हिरासत में लेकर विवेचना कर उसके विरूद्ध थाना कुसमुंडा के अप0 क0 **568/2022** अन्तर्गत धारा **34 (2)** आ0ए0 पंजीबद्ध करना बताया गया है। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा तैयार करना, 10 लीटर शराब की जप्ती करना और साक्षियों के कथन लेखबद्ध करना दर्शाया गया है।

केस डायरी के परिशीलन से दर्शित होता है कि (नजरी नक्शा) ''ए'' में वहां पर किसी प्रकार के शराब व मोटरसायकल को होना नहीं दर्शाया गया है। आवेदक/आरोपी का प्रथम अपराध होना तथा उसे दिनांक 30.10.2022 से अभिरक्षाधीन होना दर्शित है। उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड होना भी दर्शित नहीं है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी दशा में इस प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होने से उसकी ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 439 दं0प्र0स0 **स्वीकार** कर आदेश दिया जाता है कि यदि आवेदक/आरोपी द्वारा विचारण न्यायालय की संतुष्टि योग्य 15,000/—रु0 का एक सक्षम जमानत एवं उतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र इस शर्त के साथ पेश किया जावे कि वह अभियोजन साक्षियों को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक पेशियों में समय पर उपस्थित होगा तो उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

केस डायरी मय आदेश के वापस भेजा जावे।

यह प्रकरण समाप्त, परिणाम दर्जकर अभिलेखागार में विधिवत जमा किया जावे।

(वेन्सेस्लास टोप्पो)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा
जिला —कोरबा (छ0ग0)

प्रतिलिपि :— 1— कु0 श्वेता मिश्रा, जेएमएफसी पाली, जिला कोरबा।
2— थाना प्रभारी पाली, जिला कोरबा।
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

(वेन्सेस्लास टोप्पो)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा
जिला —कोरबा (छ0ग0)

03.11.2022 आवेदक/आरोपी द्वारा श्री विजय जायसवाल अधिवक्ता।

राज्य द्वारा श्री अशोक आनंद ए0पी0पी0।

थाना कुसमुंडा के अप0 क0 **568/2022** अन्तर्गत धारा **34 (2)** आ0ए0 से संबंधित केस डायरी प्राप्त है।

आवेदक/आरोप की ओर से प्रस्तुत **प्रथम** जमानत आवेदन धारा 439 दं0प्र0स0 पर उभयपक्ष का तर्क सुना गया।

आरोपी/आवेदक की ओर से **उसके पिता हीरालाल केंवट ने** शपथ पत्र पेश किया है कि इस न्यायालय में यह **प्रथम** जमानत आवेदन पत्र पेश किया गया है। इस प्रकार का अन्य कोई भी जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय में पेश नहीं किया गया है और न ही निराकृत हुआ है और न ही लंबित है।

आवेदक/आरोपी का जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 संक्षेप में यह है कि उसे जेएमएफसी पाली न्यायालय में दिनांक 30.10.2022 को पेश किया गया था तब से वह उप जेल कटघोरा में निरूद्ध है। वह निर्दोष है, पुलिस द्वारा झूठा जप्ती बनाकर उसे फंसाया गया है। वह परिवार का मुखिया है और लंबे समय से जेल में रहने पर उसके परिवार के समक्ष भूखों मरने की स्थिति निर्मित हो गयी है। वह ग्राम कोरबी का स्थाई निवासी है और उसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। उस पर प्रथम अपराध अधिरोपित किया गया है। जमानत प्रदान करने पर वह न्यायालय के समस्त आदेशों का पालन करेगा। अतः जमानत मुचलके पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया है।

आरोपी/आवेदक की ओर से आवेदन अनुसार तर्क कर बताया गया कि आवेदक निर्दोष है तथा वह दिनांक 30.10.2022 से अभिरक्षाधीन है। आवेदक का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः जमानत मुचलके पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया।

राज्य की ओर से ए0पी0पी0 द्वारा उक्त जमानत आवेदन का विरोध किया गया है और तर्क किया गया है कि आरोपी से 10 लीटर हाथ भटठी

कीमती 1200/—रु0 का शराब गवाहों के समक्ष बरामद करना बताया गया है। अतः आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

अभियोजन प्रकरण के अनुसार दिनांक 30.10.2022 को मुखबिर की सूचना पर कि ग्राम कोरबी में रहने वाले आरोपी विजय कैवर्त अपनी मोटरसायकल में अवैध रूप से हाथ भटटी कच्चा शराब लेकर आ रहा था, तब कोरबी कपीलडबरी तालाब के पास पहुंचकर मुखबिर की सूचना के अनुसार मौके पर पहुंचकर एक व्यक्ति को मोटरसायकल से आते देखकर उससे पूछताछ करने पर उसकी मोटरसायकल क0 एम0पी0 18 एसएस 8769 में एक झोले में रखे 10 लीटर हाथ भटठी महुआ शराब कीमती 1200/—रु0 को अवैध रूप से बिक्री हेतु ले जाते पकड़े और उसे हिरासत में लेकर विवेचना कर उसके विरूद्ध थाना कुसमुंडा के अप0 क0 **568/2022** अन्तर्गत धारा **34 (2)** आ0ए0 पंजीबद्ध करना बताया गया है। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा तैयार करना, 10 लीटर शराब की जप्ती करना और साक्षियों के कथन लेखबद्ध करना दर्शाया गया है।

केस डायरी के परिशीलन से दर्शित होता है कि (नजरी नक्शा) ''ए'' में वहां पर किसी प्रकार के शराब व मोटरसायकल को होना नहीं दर्शाया गया है। आवेदक/आरोपी का प्रथम अपराध होना तथा उसे दिनांक 30.10.2022 से अभिरक्षाधीन होना दर्शित है। उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड होना भी दर्शित नहीं है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी दशा में इस प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होने से उसकी ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 439 दं0प्र0स0 **स्वीकार** कर आदेश दिया जाता है कि यदि आवेदक/आरोपी द्वारा विचारण न्यायालय की संतुष्टि योग्य 15,000/—रु0 का एक सक्षम जमानत एवं उतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र इस शर्त के साथ पेश किया जावे कि वह अभियोजन

साक्षियों को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक पेशियों में समय पर उपस्थित होगा तो उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

केस डायरी मय आदेश के वापस भेजा जावे।

यह प्रकरण समाप्त, परिणाम दर्जकर अभिलेखागार में विधिवत जमा किया जावे।

(वेन्सेस्लास टोप्पो)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा
जिला –कोरबा (छ0ग0)